ORDER SHEET

THE COURT - **दिनेश मीणा न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी, देपालपुर म.प्र.**

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बेटमा वि. रवि जाट

अपराध कमांक 247/2020

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
27/05/2020	रिमाण्ड ड्युटी मे मेरे समक्ष प्रस्तुत। आरक्षी केन्द्र बेटमा की ओर से अपराध कमांक **247/2020** की केस डायरी इस न्यायालय के ई-मेल आई.डी.पर प्राप्त। आरक्षी केन्द्र बेटमा के आरक्षक श्री राजेश जमरा कमांक 834 द्वारा अपराध कमांक- 247/2020 अंतर्गत-धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम तथा धारा 188,269 भादसं. के अंतर्गत अभियुक्त **रवि पिता मदनसिंह उम्र 35 साल निवासी ग्राम उबडी थाना बगदून जिला धार म.प्र.** को गिरफतार कर सशरीर मेरे समक्ष पेश किया। केस डायरी के साथ एक आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा-41 (1) ख (II) द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण को यदि गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उनके पुनः अपराध करने की संभावना है। अनुसंधान करने के लिये आरोपी को गिरफ्तार किया जाना आवश्यक था, यदि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वह साक्ष्य से छेड़छाड कर सकते थे और साक्षियों को उत्प्रेरित कर धमकी दे सकते है। अभियुक्तगण/अभियुक्त की गिरफ्तारी संतोष जनक प्रतीत होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित **न्यायदृष्टाँत अरनेश कुमार विरूद्व बिहार राज्य एवं अन्य किमिनल अपील क-1277/14 स्पेशल न्यू पिटीशन कमांक-51** में निर्णय दि-02.07.14 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है, चैकलिस्ट संलग्न है। अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया गया। केस डायरी के संलग्न एक आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-167 द.प्र.सं. प्रस्तुत कर अभियुक्त का दिनांक **05.06.2020** तक का न्यायिक रिमाण्ड6 स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण /अभियुक्त को सुना गया। अभियुक्तगण/अभियुक्त को दिनांक **26.05.2020** को समय लगभग **14.40** बजें गिरफतारी पश्चात् धारा-57 द.प्र.सं. द्वारा 24 घण्टे की विहित समयावधि में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अभियुक्त से पूछे जाने पर स्वयं के शरीर पर कोई चोंट नहीं होना व्यक्त किया है। पुनः न्यायालय के माध्यम से स्वयं का चिकित्सा परीक्षण नहीं कराना एवं गिरफतारी की सूचना उनके परिवारजन को होना व्यक्त किया गया है। अभियुक्त को प्रकरण में उनके प्रतिरक्षा सम्बन्धी अधिकार से अवगत कराया गया। अभियुक्त द्वारा स्वयं को अधिवक्ता नियुक्त करना व्यक्त किया गया है। अतः केस डायरी के अवलोकन किया गया । केस डायरी के अवलोकन पश्चात अभियुक्त का दिनांक **05/06/2020** तक की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार की जाती है। अभियुक्त का जेल वारंट बनाकर उप जेल इस टीप के साथ जारी किया जावे कि अभियुक्त का मेडीकल परीक्षण कराकर उप जेल महू डॉक्टर अम्बेडकर नगर भेजा जावे। केस डायरी वापस की गई। प्रकरण अभियोग-पत्र प्रस्तुति हेतु दिनांक **05.06.2020** को पेश6 हो। (दिनेश मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर जिला इंदौर	केस डायरी मय जेल वारंट व कापी के प्राप्त

Scanned with CamScanner

पुनश्च–

आरोपी रवि पिता मदनसिंह की ओर से श्री अब्दुल गफ्फार खान अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति ज्ञापन सहित आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. पेश किया गया। तथा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर आज ही सुने जाने का निवेदन किया गया।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन में निवेदन किया गया है कि आरोपी को अभियोगी द्वारा असत्य आधारों पर प्रकरण में आरोपी बनाया है जब कि आरोपी किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, आरोपी म.प्र. का मूल निवासी होकर समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर कहीं भाग जाने या फरार हो जाने की कोई संभावना नहीं है। यदि आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा जमान पर मुक्त किया जाता है कि वह अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है तथा आरोपी ने कोई गंभीर अपराध नहीं किया है कि उसे आजन्म कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा से दण्डित किया जावे। अभियुक्त माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है तथा माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः प्रार्थना है कि अभियुक्त का सदर आवेदन स्वीकार किया जाकर आरोपी को सक्षम जमानत पर मुक्त किया जाने बाबत योग्य आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अभियुक्त रवि की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन की प्रति आरक्षी केन्द्र बेटमा के आरक्षक को प्रदान की गई।

उभय पक्षों के तर्क श्रवण किए गए।

आरक्षी केन्द्र बेटमा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

आरक्षी केन्द्र बेटमा की ओर से प्रस्तुत केस डायरी अनुसार आरक्षी केन्द्र बेटमा के अपराध कमांक 247/2020 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त रवि के विरूध्द अपराध पंजीवद्ध किया गया है अभियुक्त पर आरोपित अपराध अजमानतीय प्रकृति का है केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्त से कुल 30 पेटी मसाल एवं दुबारा कुल 270 लीटर शराब को जप्त किया गया है प्रकरण वर्तमान में विवेचना के प्रकरण पर होकर प्रकरण में विवेचना जारी है। अतः अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखतें हुवें अभियुक्त रवि की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दंप्रसं. का अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

केस डायरी वापस की जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 05/06/2020 को पेश हो।

(वंदना मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मल्हारपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner